


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बारायठा बनाम रामलाक (कौरा)

किस्म मुकदमा प्रॉप्टर धारा 111-128 नं० 35 सन 2024.....

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-3-24	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 21-3-24 को पेश हो ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद वापस होकर प्राप्त हुए जिले शां पं लिखे गये । विपक्षीगण के किराये मतेवा आयोजित किया जाने के बाद भी उपस्थित नहीं । इसके खिन्दा एक तरफ़ा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थी का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर किराये मतेवा के लिखा जाकर शां पं लिखा गया । पत्रावली के लल शुमार होकर नम्बर से बत हो ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 35/24 प्रोपरा

1- श्री नारायण सो श्री खोगा गुर्जर निवासी, बैकरोडा तहसील माण्डल - प्रार्थी

बनाम

1- श्री रामलाल सो श्री रावईराम गुर्जर निवासी, बैकरोडा तहसील माण्डल (वर्ग II)
(सहायित प्रोपरा-शालक) - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 21.3.24


:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बैकरोडा पटवार हल्का जोरातरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 331, 488/1 कुल किता 02 रकबा 1.0117 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बैकरोडा पटवार हल्का जोरातरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 331, 488/1 कुल किता 02 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक तागोर को 500 रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोक़े व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल